

2025 / 365

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत- कारकोप

प्रकरण संख्या:- 295/25

दिनांक:- 2-10-2025

उनवान

श्री सोहनलाल
पुत्र शिवगलाल

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज,

दस्ता कारकोप सू. अ. नि. कारकोप एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को

रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत

ग्राम कारकोप प. 0 ह. कारकोप की वर्तमान स्थायी

जमाबन्दी के खाता संख्या 156 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को

निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1	नाम व पिता का नाम	सोन्या पुत्र शिवगलाल 1/2 सोहनलाल पुत्र शिवगलाल हिंग - 1/48	सोहनलाल पुत्र शिवगलाल हिंग - 5/48 शेख भोरु वदला

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।

2. प्रार्थी श्री सोहनलाल पुत्र शिवगलाल आदि के पालना प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स. मा. 0)

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स. मा. 0)

